

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०
में विशिष्ट कार्यों के
पंजीकरण/सूचीबद्धता हेतु आवेदन

यहां स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो चस्पा
करें।

- 1- श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है।
- 2- फर्म का नाम एवं पता
- 3- फर्म के स्वामो का नाम/स्थायी पता
- (पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड
- पत्र में से किसी एक की छायाप्रति पते के
- साक्ष्य के रूप में संलग्न करें)
- 4- वर्तमान पता
- 5- GSTIN (छायाप्रति संलग्न करें)
- 6- आयकर पैन कार्ड नम्बर तथा कर निर्धारण का
- साक्ष्य (संलग्न करें)
- 7- चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- 8- हैसियत प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- 9- पंजीकरण शुल्क रू० 2000.00+जी०एस०टी०
- (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
- 10- धरोहर धनराशि रू० 50,000.00
- (डी०डी० मूल रूप में)

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

विशिष्ट प्रकृति के कार्यों की विभिन्न श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है:-

1- Specialized work

Sl. No.	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Water proofing work (Brick Cova)	'K'
2	Anti termite treatment work	'L'
3	Soil Testing.	'M'
4	Surveying work.	'N'
5	Fire Fighting System.	'O'
6	Over Head Tank.	'P'

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के पंजीकरण/सूचीबद्ध किये जाने के नियम व शर्तः-

1. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। जिनकी अहतायें संलग्न सूची के अनुसार होगी।
2. सभी आपूर्तिकर्ता जो सूचीबद्धता हेतु उत्सुक हैं उन्हें GST और आयकर में पंजीकृत होना चाहिए, उन्हें आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य (पिछले 03 वर्ष) में 02 Consecutive Year प्रस्तुत करने के साथ-साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. बाट-आउट सामग्रियों की दशा में उत्पादकों का अधिकृत डीलर/वितरक होना आवश्यक है, इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. फर्म/कम्पनी को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि "उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, फर्म/कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा"।
5. सूचीबद्धता के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतिष्ठित उत्पादनकर्ता कम्पनी द्वारा सूचीबद्धता हेतु आवेदन किये जाने की दशा में चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
6. विभिन्न कटैगरी (K से P तक) में सूचीबद्ध किये जाने हेतु प्रति श्रेणी रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) एवं यदि एक ही आपूर्तिकर्ता/फर्म या कम्पनी एक से अधिक श्रेणी में पंजीयन करवाती है, तो 02 (दो) श्रेणी हेतु कुल रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) का तथा 02 से अधिक श्रेणी हेतु कुल रू0 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के नाम से जारी किया गया हो, जमा करना होगा।
7. विशिष्ट प्रकृति के पंजीकरण हेतु प्रत्येक श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क रू0 2000.00 +जी0एस0टी0 एवं नवीनीकरण हेतु रू0 1000.00+जी0एस0टी0 एवं नवीनीकरण में हुये विलम्ब के उपरान्त अधिकतम 06 माह तक नवीनीकरण कराने हेतु विलम्ब शुल्क प्रत्येक माह रू0 500.00+जी0एस0टी0 का बैंक ड्राफ्ट "उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारो संघ लि0, लखनऊ" के नाम देय, जमा कराते हुये पंजीकरण/नवीनीकरण किया जायेगा।
8. विभिन्न कटैगरी में सूचीबद्ध किये जाने हेतु न्यूनतम रू0-10.00 लाख का हैसियत प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। यदि एक ही आपूर्तिकर्ता/फर्म या कम्पनी एक से अधिक श्रेणी में पंजीकरण करवाती है तो दो श्रेणी हेतु कुल 20 लाख का तथा दो से अधिक श्रेणी हेतु 25 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत संलग्न करना होगा। फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी को फर्म/कम्पनी के नाम से हैसियत (साल्वेंसी), सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी)/राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त, संलग्न करनी होगी।
9. पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ताओं में से उपयुक्त पाये गये आवेदनकर्ताओं की सूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष के लिए वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 02 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।

10. फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. यदि पंजीकरण अवधि के बीच में मांगे गये किसी भी पंजीयन/प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो समय से पूर्व उसका नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. (i) **श्रेणी-के**-वाटर प्रूफ कार्य (ब्रिक कोवा) हेतु पिछले पांच वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल रू०-10लाख के कार्य कराने का अनुभव होना आवश्यक है। इस आशय का प्रमाण पत्र परियोजना अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, यू०पी०आर०एन०एस०एस० अथवा अन्य सरकारी विभागों/निगमों का संलग्न करना आवश्यक है, जोकि कम से कम अधिशाली अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ है एवं उक्त कार्य का दस वर्षों का गारन्टी निर्धारित प्रारूप में रू० 100/- के स्टैम्प पेपर पर देना होगा।
(ii) वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेन्ट (ब्रिक कोवा) में लेबर रेट मय वाटर प्रूफिंग केमिकल्स को प्राप्त कर मानक के अनुरूप किया जाना होगा। अन्य प्रयुक्त होने वाली सामग्री यू०पी०आर०एन०एस०एस० द्वारा दी जायेगी।
14. (i) **श्रेणी-L** (एन्टी टरमाईट ट्रीटमेन्ट कार्य) हेतु निर्माण के पूर्व एवं निर्माण के उपरान्त एन्टी टरमाईट ट्रीटमेन्ट कार्य में आवेदनकर्ता को प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स एवं लेबर दर को शामिल करते हुए मानक के अनुरूप किया जाना होगा तथा उक्त कार्य हेतु कीटनाशक लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। फर्म को विगत पांच वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल रू०-03 लाख के कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।
(ii) एन्टी टरमाईट के कार्यों हेतु सम्बन्धित फर्म को पांच वर्षों का गारन्टी निर्धारित प्रारूप में रू० 100/- के स्टैम्प पेपर पर देना होगा।
15. **श्रेणी-O** (फायर फायटिंग कार्य)-अग्नि शमन विभाग के मानकों के अनुरूप कार्य सम्पादित कराना होगा एवं विगत पांच वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल रू०-7.50 लाख के कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।
16. (i) **श्रेणी-P** (ओवर हेड टैंक) फर्म के द्वारा विगत पांच वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल 03 ओ०एच०टी० (10,000 लीटर एवं उससे अधिक क्षमता) के सफलतापूर्वक पूर्ण कराने का अनुभव।
(ii) भुगतान के दौरान रोकੀ गयी सिक्क्योरिटी एक वर्ष के बाद अवमुक्त की जायेगी।

**उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० में
मृदा परीक्षण (Soil Testing) कार्य हेतु पंजीकरण के नियम व शर्तः—**

1. सभी इच्छुक फर्म का GST और आयकर में पंजीकृत होना चाहिए, उन्हे आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य (पिछले 03 वर्ष) में 02 Consecutive Year प्रस्तुत करने के साथ-साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. फर्म को रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि "उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा"। सूचीबद्धता के लिए कॉन्ट्रेक्टर को जिलाधिकारी द्वारा वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। धरोहर धनराशि रू० 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०" के नाम जारी हो, जमा करना होगा।
3. मृदा परीक्षण कार्य हेतु विगत पांच वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल रू०-06 लाख के कार्य करान का अनुभव संलग्न करना होगा। फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उसके पास स्वयं की प्रयोगशाला आवश्यक संयंत्रों (लिस्ट संलग्न करें) सहित उपलब्ध है। अनुभव सम्बन्धित प्रमाण पत्र परियोजना अभियन्ता/अधिकाारी अभियन्ता, यू०पी०आर०-एन०एस०एस० अथवा अन्य सरकारी विभागों/निगमों का संलग्न करना आवश्यक है, जोकि कम से कम अधिकाारी अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकाारी द्वारा जारी किया हुआ है।
4. पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ताओं में से उपयुक्त पाये गये आवेदनकर्ताओं की सूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष के लिए वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 02 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
5. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सम्बन्धित फर्म का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीकरण आवश्यक होगा तथा प्रभावी श्रम नियमों के अनुपालन का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
7. वैधता समाप्त होने के पहले पंजीकरण का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा अन्यथा उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा।
8. यदि पंजीकरण अवधि के बीच में मांगे गये किसी भी पंजीयन/प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो समय से पूर्व उसका नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

**उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० में
सर्वेइंग (Surveying) कार्य हेतु पंजीकरण के नियम व शर्तः—**

1. सभी इच्छुक फर्म का GST और आयकर में पंजीकृत होना चाहिए, उन्हे आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य (पिछले 03 वर्ष) में 02 Consecutive Year प्रस्तुत करने के साथ-साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. कॉन्ट्रेक्टर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए साथ ही लेबर सेस का भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। फर्म को रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि "उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनो का होगा"। सूचीबद्धता के लिए कॉन्ट्रेक्टर को जिलाधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। धरोहर धनराशि रू० 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०" के नाम जारी हो, जमा करना होगा।
3. सर्वेइंग कार्य हेतु विगत पांच वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल रू०-03 लाख के कार्य कराने का अनुभव संलग्न करना होगा। इच्छुक फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र सूची सहित प्रस्तुत करना होगा कि कार्य को सम्पादित कराने हेतु पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है। इस आशय का प्रमाण पत्र परियोजना अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता, यू०पी०आर०एन०एस०एस० अथवा अन्य सरकारी विभागों/निगमों का संलग्न करना आवश्यक है, जोकि कम से कम अधिकासी अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ है।
4. पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ताओं में से उपयुक्त पाये गये आवेदनकर्ताओं की सूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष के लिए वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 02 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
5. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार श्रम विभाग में पंजीकरण आवश्यक होगा तथा प्रभावी श्रम नियमों के अनुपालन का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
7. वैधता समाप्त होने के पहले पंजीकरण का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा अन्यथा उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा।
8. यदि पंजीकरण अवधि के बीच में मांगे गये किसी भी पंजीयन/प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो समय से पूर्व उसका नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।